कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एफ-**5/1247/**E-file 0307/**2025/** दिनांक- ई साइन

प्रेषक:-

एच. एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं; 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय:- **बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** (RCPLWE) **के अन्तर्गत खुरसुड़ गौनाझोला से खारा तक मार्ग निर्माण हेतु** 14.045 **हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।** (**FP/MP/ROAD/156089/2022**)

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक **6-**एपीआर **028/2023-**बीएचओ**/** दिनांक **07.05.2025**

--0--

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

A- Conditions which need to be complied prior to handling over of forest land by the State Forest Department

1- शर्त क्रमांक **(1)** के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि रूपये 26485020 **/-** ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक**/** FP/MP/ROAD/155435/2022 कैम्पा मद में दिनांक **04.01.2024** से एकजाई रूप से **06** प्रकरणों की जमा की जा चुकी है, जिसमें यह प्रकरण भी सम्मिलित है।

2- शर्त क्रमांक **(2)** के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वन विभाग के नाम हस्तांतरण एवं नामान्तरण कराया जा चुका है। पालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

3- शर्त क्रमांक **(3)** के पालन में प्रकरण में एकजाई रूप से **06** प्रकरणों में प्राप्त गैर वनभूमि **89.255** हेक्टेयर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा **29** में दिनांक **14.03.2025** को अधिसूचित हो चुकी है, पालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

4- शर्त क्रमांक **(4)** के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 17255547**/-** ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक **13.05.2025** से जमा की जा चुकी है।

5- शर्त क्रमांक **(5)** के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेण्ट वैल्यू, मार्ग के किनारे- किनारे रोपण की राशि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की समस्त राशियां कैम्पा मद में दिनांक **04.01.2024** एवं **13.05.2025** से जमा कराई जा चुकी है।

6- शर्त क्रमांक **(6)** के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, बालाघाट का प्रमाण पत्र क्रमांक**/2279** दिनांक **15.06.2023** प्रस्तुत किया गया है, जो ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड है।

7- शर्त क्रमांक **(7)** के पालन में आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी अनुमति दिनांक **13.01.2025** में अधिरोपित शर्तों के पालन में **2** प्रतिशत प्रोजेक्ट कॉस्ट की राशि रू. **2544520/-** मध्यप्रदेश टाइगर फाउण डेशन सोसायटी के खाते में दिनांक **29.04.2025** से जमा की जा चुकी है, विवरण आवेदक संस्थान के पालन प्रतिवेदन के साथ अपलोड है।

8- शर्त क्रमांक **(8)** के पालन में सड़क के किनारे-किनारे रोपण की राशि रू. 18304676**/-** ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक **13.05.2025** को जमा की जा चुकी है तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न है।

9- शर्त क्रमांक **(9)** के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र ऑनलाईन पोर्टल में पालन प्रतिवेदन के साथ अपलोड किया गया है।

10- शर्त क्रमांक **(10)** के पालन में व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की KML file e-green watch पोर्टल में ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक**/** FP/MP/ROAD/155435/2022 में अपलोड किया गया है**,** जिसका ID no. 53727 है।

11- शर्त क्रमांक (11) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

12- शर्त क्रमांक (12) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

13- शर्त क्रमांक (13) के पालन में प्रकरण में कार्य करने की अनुमति पृथक से प्रेषित की जावेगी।

B- **Conditions which neet to be strictly complied on field after handling over of forest land to the User Agency by the Stae Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:**

1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वन मण डल अधिकारी द्वारा कराया जावेगा।

3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में Additional NPV का वचनपत्र ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

4- शर्त क्रमांक (4) से (16) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 23-05-2025
18:42:01

(एच.एस. मोहन्ता)

प्रतिलिपि:-

1- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश।

2- वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण बालाघाट, मध्यप्रदेश।

3- महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, सिविल लाईन, बालाघाट, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।